



## श्रम पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा मनरेगा की प्रशंसा

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के उपाय' संबंधी अपनी रिपोर्ट में श्रम पर संसदीय स्थायी समिति ने अंतर-राज्य प्रवासी मज़दूरों समेत सभी ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिये 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) की प्रशंसा की है।

### प्रमुख बिंदु

#### स्थायी समिति का अवलोकन

##### ■ मनरेगा

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत वशिष्ट और महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी प्रावधान किये गए हैं।
- मनरेगा के अतिरिक्त अकुशल श्रमिकों को 'स्थायी आजीविका' प्रदान करने के लिये कोई 'बेहतर योजना' नहीं हो सकती है।
- 7 करोड़ से अधिक परिवार (10.43 करोड़ व्यक्ति) पहले ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान फरवरी 2021 तक कुल 330 करोड़ मानव दविस सृजति किये गए हैं।

##### ■ प्रवासी श्रमिक

- महामारी के दौरान 1.08 करोड़ प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्य वापस लौटे हैं।
- प्रवासी श्रमिकों की संख्या पर विश्वसनीय और परामाणिक डेटा की अनुपलब्धता के कारण महामारी के प्रकोप के बाद उनके गृह राज्यों में वापस जाने से उनके राहत और पुनर्वास उपायों पर प्रभाव पड़ा है।
- सरकार द्वारा महामारी के दौरान कई सराहनीय पहलों (जैसे- [प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना](#)) की शुरुआत की गई, जिनका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुँचाना है।
  - हालाँकि फ़ैस हुए प्रवासी मज़दूरों को राहत सामग्री के वितरण के लिये कोई वशिष्ट दिशा-निर्देश नहीं जारी किये गए।
  - सोशल ऑडिट की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

#### स्थायी समिति के सुझाव

##### ■ तात्कालिक राहत

- कोरोना वायरस महामारी, उसके कारण उत्पन्न चुनौतियों और स्वास्थ्य प्रणाली में मौजूद खामियों को जल्द-से-जल्द दूर किया जाना चाहिये, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी परिस्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये तैयारियों को मज़बूती के साथ किया जा सके।

##### ■ तत्परता के लिये विश्वसनीय डेटाबेस की आवश्यकता

- असंगठित श्रमिकों का विश्वसनीय डेटाबेस विशेष रूप से प्रवासी मज़दूरों से संबंधित डेटाबेस राहत संकट के समय राहत पैकेजों के वितरण की व्यवस्था को सुगम बनाने में महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
  - दिसंबर 2020 में सरकार ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से संबंधित श्रमिकों सहित प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस बनाने का निर्णय लिया था।

## महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS)

- यह विश्व में सबसे बड़े रोज़गार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।

#### लॉन्च

- इसे 2 फरवरी, 2006 को लॉन्च किया गया था।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम को 23 अगस्त, 2005 को पारित किया गया था।

#### उद्देश्य

- योजना का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को सार्वजनिक अकुशल कार्य के लिये 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना है।

## कार्य का कानूनी अधिकार

- पूर्व की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत इस अधिनियम का उद्देश्य अधिकार आधारित ढाँचे के माध्यम से गरीबी जैसे गंभीर वषियों को संबोधित करना है।
- इसमें कम-से-कम एक-तहार्ई महिला लाभार्थी होना अनवार्य है।
- न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के तहत राज्य में खेतहिर मज़दूरों के लिये नरिदषिट वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी के अनुसार, मजदूरी का भुगतान कथिा जाना चाहिये।

## मांग-संचालति योजना

- मनरेगा के डज़िाइन का सबसे महत्त्वपूर्ण हसिा कसिी भी ग्रामीण वयस्क को मांग के 15 दिनों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थति गारंटी प्रदान करना है, इसमें वफिल रहने पर 'बेरोज़गारी भत्ता' दयि जाने का भी प्रावधान है।
- यह मांग-संचालति योजना श्रमकियों के आत्म-चयन को सक्षम बनाती है।

## वकिंदरति नयिोजन

- कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में [पंचायती राज संस्थानों](#) (PRI) को महत्त्वपूर्ण भूमिका देकर वकिंदरीकरण की प्रक्रयिा को मज़बूत करने पर ज़ोर दयिा गया है।
- यह अधिनियम ग्राम सभाओं को उन कार्यों की सफिरशि करने के लयि बाध्य करता है जनिहें कथिा जाना शेष है, साथ ही कम-से-कम 50% कार्यों को उनके द्वारा नषिपादति कथिा जाना अनवार्य है।



//

## आगे की राह

- महामारी ने वकिंदरीकृत शासन के महत्त्व को प्रदर्शति कथिा है।
  - कार्यों को मंजूरी, मांग के अनुसार काम देने और समय पर भुगतान सुनिश्चति करने के लयि ग्राम पंचायतों को पर्याप्त संसाधन, शक्ति व उत्तरदायित्व प्रदान कथिा जाने की आवश्यकता है।
- सामाजिक ऑडिट प्रदर्शन की जवाबदेही तय करता है, वशिष तौर पर तात्कालिक हतिधारकों के प्रत्ति। इसलयि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी नीतयिों और उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

## स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

